

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
2018 का सिविल विविध क्षेत्राधिकार मामला सं. 722

- =====
1. वेद प्रकाश
 2. बद्री नाथ,
 3. सुभाष चंद्र, सभी 1 से 3 श्री रमेश चंद्र चौधरी के पुत्र हैं,
 4. राज कुमारी देवी, पत्नी- बद्री नाथ
 5. बबीता देवी, पत्नी- वेद प्रकाश
 6. पुनम देवी, पत्नी- सुभाष चंद्र, सभी 1 से 6 निवासी- मो. बगताज खान उर्फ पोखरा,
डाकघर और थाना- हाजीपुर शहर, जिला-वैशाली।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. केदार नाथ चौधरी, पुत्र- स्वर्गीय हरिहर चौधरी, निवासी- मो. बगताज खान उर्फ पोखरा,
डाकघर और थाना- हाजीपुर शहर, जिला-वैशाली।
2. बैद्यनाथ चौधरी
3. विश्वनाथ चौधरी
4. सज्जन चौधरी
5. मदन चौधरी
6. विजय चौधरी, सभी 2 से 6 पुत्र- स्वर्गीय हरिहर चौधरी, निवासी- मो.- बगताज खान उर्फ
पोखरा डाकघर और थाना- हाजीपुर शहर, जिला-वैशाली।

..... प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्रीमान डी.के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री बजरंगी लाल, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्रीमान. वाई. सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री आदर्श सिंह, अधिवक्ता
सुश्री प्रियंका सिंह, अधिवक्ता

=====

भारतीय संविधान--अनुच्छेद 227---सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908---धारा 11; आदेश V/, नियम 17---विभाजन वाद में संशोधन याचिका को स्वीकार करने वाले विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त करने के लिए याचिका, जिसमें वादी ने अपने हिस्से के दावे के संबंध में संशोधन किया था, क्योंकि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद में विभिन्न स्थानों पर संशोधन करके वाद की संपत्ति के 1/7 वें से 1/6 वें हिस्से तक अपने हिस्से को बढ़ाने की मांग की थी---यह दलील कि उसी वादी ने पहले विभाजन वाद दायर किया था, जिसे एकपक्षीय रूप से डिक्री किया गया था और वादी/प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 वां हिस्सा आवंटित किया गया था। और यह कि संशोधन बहुत देरी के बाद पेश किया गया था और धारा 11 आवेदन पर निर्णय लिए बिना ही निर्णय लिया गया था। निर्णय: विभाजन के मुकदमे में पिछली डिक्री, वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के बाद के मुकदमे में दावे को प्रभावित नहीं करेगी और इस आधार पर संशोधन पर आपत्ति नहीं की जा सकती क्योंकि विभाजन के मुकदमे में संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा कई परिस्थितियों में बदल सकता है--- संशोधन मुकदमे के शुरू होने के बाद भी मुकदमे के किसी भी चरण में लाया जा सकता है, यदि पक्षों के बीच पूर्ण और सम्पूर्ण न्याय करने के लिए यह आवश्यक हो, लागत या अन्यथा के अधीन--- लंबित धारा 11 के आवेदन पर निर्णय लेने से पहले संशोधन आवेदन पर निर्णय लेने में कोई अवैधता नहीं है--- याचिकाकर्ताओं को 10,000/- रुपये की लागत का भुगतान करने के अधीन आक्षेपित आदेश की पुष्टि की जाती है--- सिविल विविध याचिका खारिज। (पैरा 5, 6)

2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1128, (2009) 10 एससीसी 626पर भरोसा किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 15-05-2024

याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाजीपुर के विद्वान उप न्यायाधीश- चतुर्थ द्वारा शीर्षक वाद संख्या 253/2001 में पारित दिनांक 24.01.2018 के आदेश को रद्द करने के लिए तत्काल याचिका दायर की है, जिससे और जिसके तहत वादी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) के आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर दिनांक 16.08.2017 की याचिका को अनुमति दी गई है।

2. अभिलेख से यह पता चलता है कि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजीपुर के विद्वान उप न्यायाधीश-1 की अदालत में शीर्षक वाद संख्या 253/2001 के तहत विभाजन वाद दायर किया था, जिसमें वाद की संपत्ति के विभाजन के बाद वाद की अनुसूची-1 में 1/7 वां हिस्सा मांगा गया था और प्रतिवादी-2 सेट, याचिकाकर्ताओं को वाद की अनुसूची-2 की संपत्ति के साथ-साथ अनुसूची-2 की संपत्ति के लिए वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश देने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना की गई थी कि यदि प्रतिवादी-2 सेट/याचिकाकर्ता बिक्री विलेख निष्पादित करने में विफल रहे, तो इसे अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

प्रतिवादी-2 सेट/याचिकाकर्ताओं नोटिस के बाद वाद में उपस्थित हुए और वादी के मामले का विरोध करते हुए अपना संयुक्त लिखित बयान दायर किया। यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादी/प्रतिवादी संख्या 1 तथा अन्य छह भाइयों के विरुद्ध

अनुसूची-1 की संपत्ति के विभाजन के लिए एक अन्य विभाजन वाद संख्या 102/2000 दायर किया गया था, जिसमें वर्तमान वादी-केदार नाथ चौधरी को वादी के रूप में स्थानांतरित किया गया था तथा उक्त वाद संख्या 102/2000 को क्रमशः दिनांक 23.01.2003 तथा 05.02.2003 के निर्णय तथा आदेश द्वारा एकपक्षीय रूप से आदेश किया गया था तथा वादी-केदार नाथ चौधरी को वाद संपत्ति में 1/7 हिस्से का हकदार माना गया था। तत्पश्चात, वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अंतिम आदेश तैयार करने के लिए याचिका दायर की तथा वर्तमान याचिकाकर्ताओं को दिनांक 03.05.2003 के आदेश द्वारा एफ.डी. में पक्षकार प्रतिवादी के मामला संख्या 102/2000 के रूप में जोड़ा गया। यह भी पता चला है कि शीर्षक मुकदमा संख्या 253/2001 वाले वर्तमान मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी-प्रथम सेट/प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने थाना संख्या 102/2000 की अंतिम आदेश कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए संहिता की धारा 11 के तहत एक याचिका दायर की थी। उसी समय, विविध मामला संख्या 09/2003 प्रतिवादी-द्वितीय सेट/याचिकाकर्ताओं द्वारा थाना संख्या 102/2000 की एकपक्षीय आदेश कार्यवाही को अलग रखने और मुकदमे का मुकाबला करने की अनुमति देने के लिए दायर किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद, दिनांक 03.07.2004 के आदेश के तहत शीर्षक मुकदमा संख्या 253/2001 की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी जब तक कि विविध मामला संख्या 09/2003 का निपटान हो! यह भी प्रतीत होता है कि शीर्षक वाद संख्या 253/2001 के लंबित रहने के दौरान मूल प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् पारस नाथ चौधरी की निःसंतान मृत्यु हो गई और वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाने के लिए दिनांक 18.10.2011 को याचिका दायर की जिसे अंततः दिनांक 15.06.2012 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई और प्रतिवादी संख्या 2 का नाम वाद से हटा दिया गया। इस बीच, विविध मामला संख्या 09/2003 को वापस ले लिया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.04.2017 के आदेश द्वारा दिनांक 03.07.2004 के अपने

आदेश को निरस्त कर दिया तथा शीर्षक वाद संख्या 253/2001 में आगे की सुनवाई के लिए कार्यवाही शुरू कर दी तथा दिनांक 30.05.2017 को वाद में मुद्दे तय कर दिए गए। तत्पश्चात वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दिनांक 16.08.2017 को याचिका दायर कर वाद में संशोधन की मांग की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि चूंकि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के भाई की मृत्यु निसंतान हो गई है, इसलिए वादी का हिस्सा 1/7 के स्थान पर 1/6 हो जाएगा। इस प्रकार, वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने शिकायत के पैरा-10 की दूसरी पंक्ति, पैरा-13 की दूसरी पंक्ति और पैरा-14 की पहली पंक्ति में 1/7 वाँ अंश हटाकर उसके स्थान पर 1/6 वाँ अंश जोड़ने की मांग की। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी-2 ने संशोधन याचिका का विरोध करते हुए प्रत्युत्तर दाखिल किया। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 24.01.2018 के आदेश के तहत 300/- रुपये की लागत के भुगतान की शर्त पर संशोधन याचिका को अनुमति दी।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश संधारणीय नहीं है तथा इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों और तर्कों पर विचार किए बिना अत्यंत यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है। आरोपित आदेश अवैध, मनमाना है तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विभाजन वाद संख्या 102/2000 में वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के 1/7 वें हिस्से के बारे में तथ्य पर विचार नहीं किया। एक बार, वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का निर्णय हो जाने के बाद, उसके भाई प्रतिवादी संख्या 2- पारस नाथ चौधरी की मृत्यु के कारण उसके लिए वाद संपत्ति में आगे हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह नहीं माना है कि उनकी मृत्यु के समय पारस नाथ चौधरी के पास मुकदमे की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था। इसके अलावा, प्रतिवादी-द्वितीय सेट, यहां याचिकाकर्ता, ने पहले से ही विवादित संपत्ति खरीदी है और इस स्तर पर संशोधन की अनुमति देने से

याचिकाकर्ताओं को गंभीर नुकसान होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि चूंकि मुकदमे की भूमि का विभाजन और उस पर मौजूद भवन पहले से ही विभाजन वाद संख्या 102/2000 में प्रभावी हो चुके हैं, इसलिए संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि विभाजन वाद संख्या 102/2000 के निर्णय और आदेश को अलग नहीं किया जाता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी नहीं माना है कि संहिता की धारा 11 के तहत एक आवेदन लंबित है और संहिता की धारा 11 के तहत आवेदन का निपटारा किए बिना, विद्वान विचारण न्यायालय के लिए वादी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर संशोधन याचिका पर सुनवाई और अनुमति देना उचित नहीं था। प्रस्तावित संशोधनों की आड़ में वादी/प्रतिवादी संख्या 1 अपने विभाजन वाद संख्या 102/2022 में पारित आदेश को निरस्त करवाने का इरादा रखता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह नहीं माना है कि संशोधन याचिका ट्रायल शुरू होने के बाद दायर की गई है और इसे कोड के आदेश 6 नियम 17 के प्रावधान के तहत रोक दिया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि संशोधन बहुत देरी से मांगा गया है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2-पारस नाथ चौधरी की मृत्यु संशोधन से बहुत पहले हो गई थी और वादी ने 18.10.2011 को आवेदन दायर करके 15.06.2012 के आदेश के तहत अपना नाम हटवा लिया था, इसलिए वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के लिए इतनी लंबी अवधि तक इंतजार करने का कोई अवसर नहीं था और वादी/प्रतिवादी संख्या 1 यह दिखाने में विफल रहा है कि उचित परिश्रम के बावजूद, वह पहले संशोधन याचिका नहीं ला सका। विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि मृत्यु की तारीख पर, प्रतिवादी संख्या 2-पारस नाथ चौधरी के पास मुकदमे की संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं था और उसने अपने पांच भाइयों के साथ मिलकर वर्तमान मुकदमा दायर करने से बहुत पहले ही याचिकाकर्ताओं को अपना हिस्सा बेच दिया था। साथ ही, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने संशोधन याचिका को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादियों-2 सेट/याचिकाकर्ताओं को इसका खंडन करने का

उचित अवसर नहीं दिया। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, आरोपित आदेश कानून की दृष्टि से और तथ्य के आधार पर भी खराब है और इसे रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि आरोपित आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

4. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 11 के अंतर्गत आवेदन के लंबित रहने अथवा पिछले विभाजन से संबंधित मुद्दे संशोधन आवेदन पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि संशोधन आवेदन में मांगे गए संशोधन की योग्यता पर विचार नहीं किया जा सका तथा यह देखा जाना है कि क्या संशोधन पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक हैं। अनेक निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संशोधन को उदारतापूर्वक अनुमति दी जानी चाहिए तथा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विभाजन के मुकदमे में एक से अधिक प्रारंभिक आदेश हो सकती है तथा पिछले विभाजन के आधार पर संशोधन याचिका पर विचार करने में स्थिरता का मुद्दा आड़े नहीं आएगा, जिसमें संशोधन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता तथा पक्षों के बीच विवाद को विद्वान विचारण न्यायालय के विचारार्थ उजागर किया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि प्रतिवादियों ने यथाशीघ्र संशोधन प्रस्तुत किया था, तथापि विलंब प्रतिवादियों द्वारा मांगे गए संशोधन को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता।

5. मैंने मामले के विभिन्न पहलुओं और याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर गहन विचार किया है। याचिकाकर्ता विभाजन के मुकदमे में संशोधन याचिका को स्वीकार करने वाले विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित हैं, जिसमें वादी ने अपने हिस्से के दावे के संबंध में संशोधन किया था क्योंकि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद में विभिन्न स्थानों पर संशोधन द्वारा वाद की संपत्ति के 1/7 वें से 1/6 वें हिस्से तक अपने हिस्से को बढ़ाने की मांग की थी। इस तरह के संशोधन पर आपत्ति मुख्य रूप से इस

आधार पर है कि उसी वादी ने पहले विभाजन का मुकदमा दायर किया था, जिसे एकतरफा फैसला सुनाया गया था और वादी/प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 वां हिस्सा आवंटित किया गया था। आगे की आपत्ति इस आधार पर है कि संशोधन बहुत देरी के बाद पेश किया गया था और उस पर निर्णय संहिता की धारा 11 के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लिए बिना ही निर्णय ले लिया गया था। मुझे संशोधन याचिका के इस आधार पर स्वीकार्य न होने के तर्क में कोई खास दम नहीं दिखता कि पहले के विभाजन के मुकदमे में वादी का हिस्सा 1/7 वें हिस्से तक तय किया गया था। वादी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया मुकदमा विभाजन का मुकदमा है और संयुक्त परिवार की संपत्ति का हिस्सा कई परिस्थितियों में बदल सकता है। यहां एक परिस्थिति सह-हिस्सेदारों में से एक की मृत्यु है। उस सह-हिस्सेदार के पास कोई संपत्ति बची थी या नहीं, यह परीक्षण का विषय है और इसे समय रहते खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए, विभाजन के मुकदमे में पिछली आदेश वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के बाद के मुकदमे में दावे को प्रभावित नहीं करेगी और इस आधार पर संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती।

6. जहां तक देरी का सवाल है, ऊपर बताए गए तथ्यों से ऐसा लगता है कि संशोधन लगभग छह साल की देरी के बाद दायर किया गया है। हालांकि, इस मुद्दे पर देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन सभी मामलों में देरी किसी पक्ष को संशोधन पेश करने और दलीलों में संशोधन करवाने से वंचित नहीं करेगी, अगर पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए यह आवश्यक है। हालांकि, संहिता के आदेश 6 नियम 17 का प्रावधान परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन को रोकता है, लेकिन इसे पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के न्याय निर्णयन के रास्ते में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 'मुकदमे की शुरुआत के बाद' के चरण में संशोधन के मुद्दे पर कानून अब एकीकृत नहीं रह गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेंद्र कुमार शर्मा बनाम माखन सिंह** के मामले में (2009) 10 एससीसी 626 में कहा है कि संशोधन मुकदमे की शुरुआत के बाद भी मुकदमे के किसी भी चरण में

लाया जा सकता है, अगर पक्षों के बीच पूर्ण और संपूर्ण न्याय करने के लिए यह आवश्यक है, लागत या अन्यथा के अधीन। इस प्रकार, संशोधन की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रभावित पक्षों को लागत के संदर्भ में मुआवजा दिया जा सकता है।

7. मृतक प्रतिवादी या उसके भाई द्वारा उनके पक्ष में संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में याचिकाकर्ता का जो भी दावा हो, उसे विचारण के दौरान विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। इस आधार पर, याचिकाकर्ताओं का उनके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह होने का दावा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि किसी भी मामले में उन्हें अपना अधिकार स्थापित करना होगा और वादी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हिस्सेदारी के दावे में परिवर्तन उक्त उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। संहिता की धारा 11 के तहत आवेदन का लंबित होना और संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन प्रस्तुत करना अलग-अलग मुद्दे हैं। यदि संहिता की धारा 11 के तहत कोई आवेदन लंबित था, तो आदर्श रूप से, नीचे के विद्वान न्यायालय को संशोधन के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने से पहले उसका निपटारा कर देना चाहिए था। लेकिन यह कोई अवैधानिकता नहीं है।

8. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में माना है कि न्यायालय का प्रयास पक्षों के बीच वास्तविक विवाद का निर्णय करना होना चाहिए तथा संशोधनों की अनुमति देते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य** के मामले में, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1128 में रिपोर्ट किए गए, पैराग्राफ-70 में, निम्नलिखित शर्तों में संशोधन की अनुमति देने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए हैं:-

“70. हमारे अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार संक्षेपित किए जा सकते हैं:

(i) आदेश // नियम 2 सीपीसी किसी अनुवर्ती मुकदमे के विरुद्ध अवरोध के रूप में कार्य करता है, यदि इसके आवेदन के लिए अपेक्षित शर्तें

पूरी होती हैं तथा दलीलों के संशोधन का क्षेत्र इसके दायरे से बहुत परे है। आदेश // नियम 2 सीपीसी के अंतर्गत संशोधन पर रोक लगाने की दलील, इस प्रकार, गलत है तथा इसलिए अस्वीकृत है।

(ii) सभी संशोधनों को अनुमति दी जानी चाहिए जो विवाद में वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हैं, बशर्ते कि यह दूसरे पक्ष के साथ अन्याय या पूर्वाग्रह का कारण न बने। यह अनिवार्य है, जैसा कि सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के उत्तरार्द्ध में "करेगा" शब्द के उपयोग से स्पष्ट है।

(iii) संशोधन के लिए प्रार्थना को अनुमति दी जानी चाहिए:

(i) यदि संशोधन पक्षों के बीच विवाद के प्रभावी और उचित न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है, और

(ii) कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, बशर्ते कि

(a) संशोधन के परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न हो,

(b) संशोधन द्वारा, संशोधन चाहने वाले पक्ष द्वारा किए गए किसी भी स्पष्ट प्रवेश को वापस लेने की मांग नहीं करते हैं जो दूसरे पक्ष को अधिकार प्रदान करता है और

(c) संशोधन समय बाधित दावा नहीं उठाता है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को मूल्यवान अर्जित अधिकार (कुछ स्थितियों में) से वंचित किया जाता है।

(iv) संशोधन के लिए प्रार्थना को आम तौर पर तब तक अनुमति देने की आवश्यकता होती है जब तक कि

(i) संशोधन द्वारा, समय-बाधित दावा पेश किया जाता है, जिस स्थिति में यह तथ्य कि दावा समय-बाधित होगा, विचार के लिए एक प्रासंगिक कारक बन जाता है,

(ii) संशोधन से मुकदमे की प्रकृति बदल जाती है,

(iii) संशोधन के लिए प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण है, या

(iv) संशोधन से, दूसरा पक्ष वैध बचाव खो देता है।

(v) दलीलों के संशोधन के लिए प्रार्थना से निपटने में, अदालत को अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए, और आम तौर पर उदार होने की आवश्यकता होती है, खासकर जहां विरोधी पक्ष को लागतों से मुआवजा दिया जा सकता है।

(vi) जहां संशोधन अदालत को विवाद पर सटीक रूप से विचार करने में सक्षम बनाता है और अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सहायता करता है, संशोधन के लिए प्रार्थना को अनुमति दी जानी चाहिए।

(vii) जहां संशोधन में केवल अतिरिक्त या नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की मांग की गई है, बिना किसी समय-बाधित कार्रवाई का कारण बताए, संशोधन को सीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी अनुमति दी जा सकती है।

(viii) संशोधन को उचित रूप से अनुमति दी जा सकती है, जहां इसका उद्देश्य शिकायत में भौतिक विवरणों की अनुपस्थिति को सुधारना है।

(ix) संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी अकेले प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां देरी का पहलू बहस योग्य है, संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और निर्णय के लिए सीमा अवधि के मुद्दे को अलग से तैयार किया जा सकता है।

(x) जहां संशोधन मुकदमे या कार्रवाई के कारण की प्रकृति को

बदलता है ताकि शिकायत में स्थापित मामले से अलग एक बिल्कुल नया मामला स्थापित हो, विदेशी वादी में स्थापित मामले के लिए संशोधन को अस्वीकार किया जाना चाहिए। हालाँकि, जहाँ संशोधन की माँग केवल वाद पत्र में राहत के संबंध में है, और उन तथ्यों पर आधारित है जो वाद-पत्र में पहले से ही बताए गए हैं, वहाँ संशोधन को सामान्यतः अनुमति दी जानी चाहिए।

(xi) जहाँ संशोधन की माँग सुनवाई शुरू होने से पहले की जाती है, वहाँ न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में उदार होना चाहिए। न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि विरोधी पक्ष को संशोधन में स्थापित मामले का सामना करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार, जहाँ संशोधन के परिणामस्वरूप विरोधी पक्ष को अपूरणीय क्षति नहीं होती है, या विरोधी पक्ष को उस लाभ से वंचित नहीं करता है जो उसने संशोधन की माँग करने वाले पक्ष द्वारा स्वीकारोक्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त किया था, वहाँ संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, जहाँ संशोधन न्यायालय के लिए पक्षों के बीच विवाद के मुख्य मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, वहाँ संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।”

9. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, मेरा विचार है कि आरोपित आदेश में याचिकाकर्ताओं को लागत के भुगतान के बिंदु को छोड़कर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, विद्वान उप न्यायाधीश-IV, हाजीपुर द्वारा शीर्षक वाद संख्या 253/2001 में पारित दिनांक 24.01.2018 के आदेश की पुष्टि की जाती है, बशर्ते कि इस आदेश की तिथि से एक महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को 10,000/- रुपये की लागत का भुगतान किया जाए। साथ ही, विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य पर विचार करेगा कि याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादी-द्वितीय सेट को, यदि वे चाहें तो लाए जाने वाले संशोधन का

विरोध/खंडन करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय याचिकाकर्ताओं द्वारा संहिता की धारा 11 के तहत दायर याचिका को जल्द से जल्द निपटाने के लिए उठाएगा।

10. तदनुसार, वर्तमान सिविल विविध याचिका खारिज की जाती है, लेकिन आरोपित आदेश में पूर्वोक्त संशोधन के साथ।

11. इस न्यायालय ने किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और जो कुछ भी देखा गया है, वह केवल वर्तमान याचिका के निपटान के उद्देश्य से है और विद्वान परीक्षण न्यायालय इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से पक्षपातपूर्ण नहीं होगा।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।